



पुलिस कमिश्नरेंट लखनऊ
प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 07 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18-07-2020

दिनांक 17/18-07-2020 को रात्रि थाना पी0जी0आई0 01, अलीगंज 01, गाजीपुर 01, काकोरी 02, मोहनलालगंज 02 गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार।

डीसीपी मध्य

गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही।

थाना सरोजनीनगर:—दिनांक 17-07-2020 को श्री आनन्द कुमार शाही प्रभारी निरीक्षक सरोजनीनगर लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01—राज कुमार पुत्र रामदेव रैदास निवासी ग्राम मल्के थाना सरेनी जनपद रायबरेली, हालपता अवध बिहार कालोनी सेखू के मकान में किरायेदार थाना सरोजनीनगर लखनऊ 2—चीकू जायसवाल पुत्र मान सिंह जायसवाल निवासी ग्राम सिगमा थाना सिगमा जनपद रायपुर छत्तीसगढ़, हालपता रुस्तम बिहार कालोनी आर0बी0सिंह का किराये का मकान थाना सरोजनीनगर लखनऊ 3—विजय सिंह पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम चकिया थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ हालपता गंगानगर चीनी मिल के पीछे थाना सरोजनीनगर लखनऊ के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

अभियुक्त गिरफ्तार।

सरोजनीनगर:—दिनांक 17-07-2020 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि दिनांक 16-07-2020 को वादिनी निवासी सरोजनीनगर थाना सरोजनीनगर लखनऊ द्वारा थाना सरोजनीनगर पर अपनी 13 वर्षीय पुत्री के सम्बन्ध में धारा 452/354/506 भादवि व धारा 07/08 पोस्को एक्ट का अभियोग बनाम 1—वैभव त्रिपाठी के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री सुनील कुमार मिश्रा थाना सरोजनीनगर लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान आज दिनांक 17-07-2020 को एस0आई0 श्री सुनील कुमार मिश्रा थाना सरोजनीनगर लखनऊ द्वारा उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त 1—वैभव त्रिपाठी पुत्र सचिदानन्द त्रिपाठी निवासी सेक्टर—एफ एल0डी0ए0 कालोनी थाना सरोजनीनगर लखनऊ को शनि देव मन्दिर पराग रोड़ से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरोजनीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

डी0सी0पी0 उत्तरी।

सट्टा खेलते समय गिरफ्तार।

थाना गाजीपुर:—दिनांक 17-07-2020 को आरक्षी प्रदीप चौधरी, आरक्षी प्रवेन्द्र सिंह थाना गाजीपुर द्वारा अभियुक्त 01—राशिद पुत्र गुलाम रसूल निवासी बस्तौली गाँव बी—ब्लाक इंदिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ को हारजीत की बाजी लगाकर सट्टा पर्ची द्वारा सट्टा खेलते समय सार्वजनिक स्थान बस्तौली कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से सट्टा पर्ची व 570/—रूपये नकद व मोबाइल फोन कर थाना गाजीपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।